प्रेस नोट

थाना मऊरानीपुर ,झांसी

दिनांक 10.03.2026

- **जनपद झाँसी पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही सख्त कार्यवाही,**
- **हत्या की घटना का सफल अनावरण, 20-20 हजार रू0 के इनामिया अभियुक्तगण पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार,**
- **कब्जे से अवैध असलहा-कारतूस व घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद।**

कृपया अवगत कराना है कि श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर श्री आलोक सिंह एवं श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक, झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी श्री आकाश कुलहरि के कुशल मार्गदर्शन तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के कुशल निर्देशन में जनपद झाँसी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध झाँसी पुलिस द्वारा की जा रही प्रभावी कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 10.03.2026 को थाना मऊरानीपुर पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्र में घटित हत्या की घटना में वांछित/₹20-20 हजार के इनामिया अभियुक्तगण 1. महफूज पठान पुत्र स्व० राजा पठान निवासी आवास विकास काशीराम कॉलोनी, कस्बा व थाना मऊरानीपुर जनपद झाँसी, उम्र लगभग 22 वर्ष, 2. मेहराज पठान पुत्र स्व० राजा पठान निवासी आवास विकास काशीराम कॉलोनी, कस्बा व थाना मऊरानीपुर जनपद झाँसी, उम्र लगभग 20 वर्ष तथा 3. अर्जुन उर्फ छोटू सोनकर पुत्र हरीशंकर सोनकर उर्फ टूटे सोनकर निवासी धनुषधारी मंदिर के पास, नदी पार कटरा नई बस्ती, कस्बा व थाना मऊरानीपुर जनपद झाँसी, उम्र लगभग 20 वर्ष को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्तों के कब्जे से एक अदद नाजायज तमंचा 12 बोर (आलाकत्ल) मय 02 अदद जिन्दा कारतूस, 02 अदद खोखा कारतूस 12 बोर तथा घटना में प्रयुक्त काले रंग की मोटरसाइकिल यामाहा आरएक्स-100 बरामद की गई। गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में अभियुक्तों के विरुद्ध थाना हाजा पर मु0अ0सं0 99/2026 धारा 109(1) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

संक्षिप्त विवरण :-

उल्लेखनीय है कि दिनांक 07.03.2026 को सुखनई नदी पार कर मोहल्ला शिवगंज की ओर, सरस्वती शिशु मंदिर के पास सतीश श्रीवास को अज्ञात लोगों द्वारा गोली मार दी गई थी, जिससे सतीश श्रीवास की मृत्यु हो गई। उक्त घटना के संबंध में थाना हाजा पर मु0अ0सं0 94/2026 धारा 103(1), 3(5) बीएनएस व धारा 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था।

आज दिनांक 10.03.2026 को अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दो पुलिस टीमों का गठन कर रवाना किया गया। पुलिस टीम द्वारा ग्रामोदय ब्रिज के नीचे संदिग्ध वाहन एवं व्यक्तियों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर खास द्वारा सूचना दी गई कि जिन्होंने हाल ही में मोहल्ला दमेले चौक, पुरानी मऊ में एक व्यक्ति

को गोली मारकर घटना कारित की है, वे लोग आज झाँसी हाईवे की ओर से बरियाबेर चौराहा होते हुए रानीपुर कस्बे से निकलकर मध्य प्रदेश भागने की फिराक में हैं तथा उनके पास नाजायज असलहा भी है। उक्त सूचना पर पुलिस टीम द्वारा रेलवे क्रॉसिंग से पहले सघन वाहन चेकिंग की जाने लगी। कुछ समय पश्चात बरियाबेर चौराहे की ओर से एक मोटरसाइकिल आती दिखाई दी, जिस पर तीन व्यक्ति सवार थे। पुलिस टीम द्वारा उन्हें रुकने का इशारा किया गया, किन्तु अभियुक्तों द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। पुलिस टीम द्वारा आवश्यक घेराबंदी करते हुए तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया।

<u>पूछताछ का विवरण-</u>

अभियुक्तगण से की गई पूछताछ में यह तथ्य प्रकाश में आया कि मृतक सतीश श्रीवास का अभियुक्त महफूज एवं मेहराज की रिश्तेदारी की एक महिला के साथ प्रेम संबंध था, जिसके कारण उनकी समाज में बदनामी हो रही थी। उक्त बात को लेकर अभियुक्तगण महफूज एवं मेहराज अत्यंत क्षुब्ध थे। इसी कारणवश उन्होंने अपने साथी अर्जुन उर्फ छोटू सोनकर के साथ मिलकर सतीश श्रीवास को गोली मार दी। गोली लगने से सतीश श्रीवास गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार हेतु अस्पताल ले जाया गया, जहाँ इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। अभियुक्तों के कब्जे से अवैध तमंचे, जिन्दा कारतूस, खोखा कारतूस तथा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की गई है। गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में अभियुक्तों के विरुद्ध थाना हाजा पर मु0अ0सं0 99/2026 धारा 109(1) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>*गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता*-</u>

1. महफूज पठान पुत्र स्व० राजा पठान निवासी आवास विकास काशीराम कॉलोनी, कस्बा व थाना मऊरानीपुर जनपद झाँसी, उम्र लगभग 22 वर्ष,
2. मेहराज पठान पुत्र स्व० राजा पठान निवासी आवास विकास काशीराम कॉलोनी, कस्बा व थाना मऊरानीपुर जनपद झाँसी, उम्र लगभग 20 वर्ष तथा
3. अर्जुन उर्फ छोटू सोनकर पुत्र हरीशंकर सोनकर उर्फ टूटे सोनकर निवासी धनुषधारी मंदिर के पास, नदी पार कटरा नई बस्ती, कस्बा व थाना मऊरानीपुर जनपद झाँसी, उम्र लगभग 20 वर्ष

<u>*बरामदगी*-</u>

01- 01 तमंचा 12 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस

02- 02 खोखा कारतूस 12 बोर

03- घटना में प्रयुक्त काले रंग की मोटरसाइकिल यामाहा आरएक्स-100

<u>*गिरफ्तारी / बरामदगी करने वाली पुलिस टीम* -</u>

1.प्रभारी निरीक्षक मऊरानीपुर मय पुलिस टीम